संख्या–1936 / 9.1.2016–133सा / 08टी.सी.

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ.प्र.लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग - 1 लखनऊ : दिनांक 16 अगस्त, 2016

विषयः जल संस्थानों / जलकल विभाग नगर निगम के आशुलिपिक तथा बिल वितरक के ग्रेड वेतन के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5 / 137–शा / 17–विविध / आशुलि0 / बिलवि0 / 2015 दिनांक 29.07.2015, पत्र. संख्या–5 / 124–शा / 17–विविध / आशुलि0 / बिलवि0 / 2015 दिनांक 20.04.2016 एंव पत्र संख्या–5 / 159शा / 17 विविध / आशुलि0 / बिलवि0 / 2015 दिनांक 08.06.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय स्थानीय निकायों / जलसंस्थानों में दिनांक 29 जून, 1991 से पूर्व दैनिक वेतन पर कार्यरत तृतीय / चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विनियमितीकरण हेतु अधिसंख्य पदों के सृजन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–307 / 9–1–2011–33 सा / 2008 दिनांक 13.05.2011 द्वारा जल संस्थानों / जलकल विभाग नगर निगम के लिए आशुलिपिक के सृजित पद वेतन बैण्ड 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000 को संशोधित करते हुए, ऐसे कार्मिक जो आशुलिपिक पद के अर्हता के साथ पालीटेक्निक का डिप्लोमा रखते है, को ग्रेड वेतन रू0 2800 / –तथा ऐसे कार्मिक जो आशुलिपिक की अर्हता के साथ पालीटेक्निक का डिप्लोमा नही रखते हैं, के पद का ग्रेड वेतन 2400 में और ऐसे कार्मिक जो आशुलिपिक की अर्हता नही रखते है उनका पदनाम कनिष्ठ सहायक करते हुए ग्रेड वेतन रू0 2000 / –किये जाने तथा बिल वितरक के पद पर कार्यरत अर्ह कार्मिकों, जिनकी शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट है, को ग्रेड वेतन रू0 1900 / –किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. शासनादेश में निर्धारित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

3. शासनादेश संख्या–307 / 9–1–2011–33 सा / 2008 दिनांक 13.05.2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–8–1914–दस–2016 दिनांक 10.08.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1936 (1)/9-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त महाप्रबन्धक जलकल विभाग/जलसंस्थान उ0प्र0।
5. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
7. नगर विकास के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल कार्न)
अनु सचिव।